डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ 9558-9567 दिनाँकः 23-2-26

1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
4. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
5. प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
8. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
10. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

विषयः- डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 60 उपवेशन दिनांक 23 फरवरी 2026 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **60**वां उपवेशन जो दिनाँक **23.02.2026** को प्रो.(डॉ.) गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलगुरू महोदय की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 03 से 07 तक।

कुलसचिव

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/9568 दिनाँकः 23-2-26
प्रतिलिपि निजी सचिव, कुलगुरू महोदय, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 60वां उपवेशन

23 फरवरी 2026

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **60**वां उपवेशन दिनाँक **23.02.2026** को कुलगुरू महोदय प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलगुरू एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
3. प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, चैयरमेन, आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, पीजीआईए, जोधपुर
4. प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुए :-

1. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
4. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
5. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
6. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक **23** फरवरी **2026** को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का कुलगुरू महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 12 दिसम्बर 2025 के अनुपालना का अनुमोदन।	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 12 अक्टूबर 2025 के **एजेण्डा बिन्दु संख्या-4** में डॉ. किशोरी लाल, उदयपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर गठित समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। **एजेण्डा बिन्दु संख्या-5** में विश्वविद्यालय में संचालित बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Syllabus) पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि उक्त हेतु पाठ्यक्रम NEP को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। साथ ही पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में संशोधन कर उक्त समिति सब-कमेटी तैयार कर विषयवार तीन सदस्यों की कमेटी का गठन कर समय निर्धारण के साथ पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। **एजेण्डा बिन्दु संख्या-8(4)** में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या-13(2)** में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस कोटे में चयनित अभ्यर्थी की ज्वाईनिंग राज्य सरकार द्वारा गठित काउंसलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक करने हेतु निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को पत्र प्रेषित कर कार्यमुक्त करने हेतु लिखने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। **अनुपूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या-13(3)** में इस हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शेष सभी एजेण्डा बिन्दुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	सत्र 2025-26 एवं 2026-27 की सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन करने पर निरीक्षकों की नियुक्ति एवं जारी आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति एवं रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	सत्र 2025-26 एवं 2026-27 की सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन करने पर निरीक्षकों की नियुक्ति एवं जारी आदेशों की कार्योत्तर स्वीकृति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही शेष निरीक्षण रिपोर्ट एवं स्क्रिनिंग रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2025-26 की सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यू.एस. ओस्तवात आयुर्वेद कॉलेज ऑफ बी.एससी. नर्सिंग, नारायणपुरा, मंगलवाड़-चित्तोड़गढ़ को कमियों की पूर्ति हेतु पत्र लिखना सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
3.	नवीन बी.एन.वाई.एस., बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2025-26 की सम्बद्धता शुल्क को सत्र 2026-27 में समायोजन करने एवं पुनः लौटाने हेतु निवेदन करने एवं अन्य पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति गठन हेतु अधीकृत किया गया।
4.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।	1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पुराने एवं नवीन) एवं स्नातक पाठ्यक्रम, बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रमों, पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम आदि में महाविद्यालयों के सम्बद्धता एवं शिक्षण से सम्बन्धित समस्त शुल्क में वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्राप्त समिति की रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा प्रस्तावित निरीक्षण शुल्क में हाईब्रिड मॉड पर निरीक्षण हेतु 10,000/- अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 2. सम्बद्धता शुल्क में Affiliation fee for More than four Weaks & Less than One Year Certificate Course में पूर्व में निर्धारित शुल्क को यथावत रखने के निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं अन्य प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों की शुल्क वृद्धि पर विचार-विमर्श।	एजेण्डा बिन्दु संख्या-4 में लिए गए निर्णयानुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित छः महा, एक वर्षीय, द्वि-वर्षीय प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों का अकादमिक कलेण्डर तैयार करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति गठन हेतु अधीकृत किया गया।
7.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में स्नातक (इन्टर्नशिप)/स्नातकोत्तर (तीन नवीन विषयों में) के छात्र/छात्राओं को दिए जाने वाले स्टाईपेण्ड के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	उक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र प्रेषित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	विश्वविद्यालय के आगामी नवम दीक्षांत समारोह में 31 दिसम्बर, 2025 तक के उत्तीर्ण छात्रों एवं इन्टर्नशिप पूर्ण पीएच.डी. आयुर्वेद, एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद, एम.डी. होम्योपैथिक, बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद पाठ्यक्रम की उपाधियों, स्वर्ण पदक एवं वरीयता की सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
9.	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा माह दिसम्बर, 2025-जनवरी, 2026 की समस्त परीक्षाओं Unfair Means Case अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
10.	कला आश्रम आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा परीक्षाओं में की गई अनियमित्ता के क्रम में विचार-विमर्श।	1. सम्बन्धित परीक्षा में अंतः परीक्षक विषय से सम्बन्धित नहीं होने कारण उक्त परीक्षा को निरस्त किया जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। 2. भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण के पुर्नवर्ती किसी भी संस्था में होने पर परीक्षा निरस्त करने एवं अधिकतम दो लाख रुपये का दण्ड का प्रावधान का अनुमोदन किया गया। 3. डॉ. शिव कुमार शर्मा, रेनवाल कॉलेज द्वारा प्रस्तुत सुझाव प्रस्तुत किया कि अंत परीक्षक के अनुभव में शिथिलता प्रदान करना एवं अंत परीक्षक परिवर्तन करने की दिशा में सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाना।
11.	प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श। 1. संघटक महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों की उपस्थिति आईटी शाखा द्वारा निर्मित अटेंडेंस एप्लीकेशन के माध्यम से लेना पर विचान-विमर्श।	1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	2. वृद्धावस्था देखभाल सहायक (Old age care assistant) प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स हेतु विचार-विमर्श।	2. वृद्धावस्था देखभाल सहायक (Old age care assistant) प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति गठन हेतु अधीकृत किया गया।
	3. स्नातकोत्तर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विज्ञान में मानव संसाधन की उपलब्धता पर विचार-विमर्श।	3. (i) स्नातकोत्तर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विज्ञान में मानव संसाधन की उपलब्धता पर चर्चा कर राज्य सरकार से पदों हेतु स्वीकृति एवं संवेदक के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का अनुमोदन किया गया। (ii) पीजीआईए, जोधपुर के अन्य विभागों में मानकों के अनुरूप मानव संसाधन संवेदक के माध्यम से/विश्वविद्यालय स्तर पर साक्षात्कार प्रक्रिया के द्वारा लिया जाने प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	4. पीजीआईए, जोधपुर में अध्ययनरत यूजी/पीजी अध्येताओं की महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क समय पर जमा नही करवाने की स्थिति में वर्तमान में विलम्ब शुल्क 100 रुपये प्रति दिन सक्षम स्तर से स्वीकृत है परन्तु छात्रों द्वारा विलम्ब शुल्क माफ करने हेतु निवेदन करने पर प्राचार्य के स्तर पर शिथिलता प्रदान करने हेतु विचार-विमर्श।	4. (i) पीजीआईए, जोधपुर में अध्ययनरत यूजी/पीजी अध्येताओं की महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क समय पर जमा नही करवाने की स्थिति में पूर्व निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति दिन यथावत रखने का अनुमोदन किया गया। विलम्ब शुल्क माफ करने हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया। (ii) निजी महाविद्यालयों द्वारा न्यायमूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिवति), अध्यक्ष, फीस निर्धारित कमेटी द्वारा निर्धारित फीस लिए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं शुल्क एन.सी.आई.एस.एम. द्वारा जारी अकेडमिक कलेण्डर द्वारा निर्धारित समयावधि में लिया जाए। अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क छात्र से अन्य मद में नहीं लिए जाए का निर्णय लिया गया।
12.	एक वर्षीय "प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग उपचार सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" (एन.वाई.टी.ए.टी.सी.) पर विचार-विमर्श।	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं परीक्षा सम्बन्धी आयोजन हेतु परीक्षा शाखा स्तर पर कमेटी का गठन किया जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्राप्त पीएच.डी.(आयुर्वेद) महाविद्यालयों में पार्ट-टाईम पीएच.डी. पुनः प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति गठन हेतु अधीकृत किया गया।
14.	एम.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को समिति गठन हेतु अधीकृत किया गया।
15.	आयुर्वेद संकाय उपवेशन दिनांक 10.02.2026 के कार्यवाही विवरण पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
16.	आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड उपवेशन दिनांक 21.02.2026 के कार्यवाही विवरण पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
17.	बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) एवं बी.एन.वाई.एस. अध्यापकों हेतु आईटी शाखा द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से टीचर कोड जनरेट करने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
18.	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समस्त महाविद्यालयों में हाईब्रिड मॉड से निरीक्षण करवाए जाने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
19.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मध्य निम्नलिखित संस्थाओं ने एम.ओ.यू. किया गया जिस पर विचार-विमर्श व अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
20.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. शुन्य।	1. शुन्य।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ। (पृष्ठ संख्या 03 से 07 तक)।

कुलसचिव
(सदस्य सचिव)